तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी हुक्म की तामी
25.4.23	आदेश को अपनी स्वेच्छा से निरस्त कराना चाहता है तथा प्रार्थनापत्र को चलाना नहीं चाहता है, अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त चलान के क्रमांक के जारी चालान आदेश को निरस्त किया जाकर प्रा. पत्र धारा 212 का निस्तारण किया जाने की कृपा करें।	
	कोटा पत्रावली का अवलोकन किया गया, न्यायालय के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रा. पत्र विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा पूर्व के जारी चालान आदेश दि. 28.5.18 निरस्त किया जाता है।	
	पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद नकलों के ~~[illegible]~~ मूल कार्य अंसाय संलग्न रहे।	